दिनांक 01.08.2018 को माननीय मंत्री, कृषि की अध्यक्षता में सभी प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक (शष्य) एवं विभागीय पदाधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक की कार्यवाही।

माननीय मंत्री महोदय द्वारा प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) एवं विभाग के वरीय पदाधिकारियों के साथ पूर्व में दिनांक 19.05.2018 को हुई बैठक की समीक्षा की गई थी। माननीय मंत्री महोदय द्वारा सभी संयुक्त निदेशक से पूर्व में दिये गये निदेश के अनुपालन के क्रम में जानकारी प्राप्त की गई।

1. स्वायल हेल्थ काड :– स्वायल हेल्थ कार्ड संयुक्त निदेशक द्वारा बताया गया कि किसान सलाहकार ग्रीड में जाते हैं, एवं मिट्टी नमूना लेते हैं। प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) को निदेश दिया गया कि सतत् पर्यवेक्षण किया जाय। आदेश का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय। हमारा लक्ष्य पंचायत का प्रत्येक वार्ड होगा। वार्ड में बताया जाय कि स्वायल हेल्थ कार्ड से क्या लाभ है? किसान जब खाद लेने जाय तो साथ मे यह कार्ड अवश्य ले जाय, तभी उन्हें उपर्युक्त खाद मिलेगा। पंचायत स्तर पर कृषि समन्वयक एवं प्रखंड स्तर पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी इसका अनुश्रवण करेंगे। प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) अपने स्तर से समयबद्ध कार्यक्रम का आदेश निर्गत करें और यदि किसी कर्मी के द्वारा कोताही बरती जायेगी तो स्पष्टीकरण प्राप्त कर उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई शीघ्र प्रारंभ कर सूचित करें।
2. केन्द्र द्वारा राशि विमुक्ति की स्थिति :– निदेशक, कृषि से केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में विमुक्त की गई राशि की जानकारी प्राप्त की गई। निदेशक, कृषि द्वारा बताया गया कि भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा गया है। किन–किन पदाधिकारियों के लापरवाही के कारण अभी तक केन्द्र सरकार से राशि विमुक्त नहीं की गई हैं अभी तक राशि विमुक्त नहीं हुई तो आपके स्तर से कौन सी कार्रवाई की गयी है? माननीय मंत्री द्वारा निदेश दिया गया कि भारत सरकार से इस तरह के और भी मामले हैं तो उसकी सूची तैयार कर शीघ्र उपलब्ध कराया जाय ताकि भारत सरकार से बात की जा सके।
3. पंचायत कार्यालय :– निदेश दिया गया कि कई पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बनकर तैयार है, इसके अलावे किसी–किसी पंचायत में ई0 किसान भवन, सामुदायिक भवन उपलब्ध है, वहाँ पंचायत कृषि कार्यालय का संचालन अविलंब प्रारंभ कर सूची प्रेषित किया जाय एवं शीघ्र पंचायतों में किराया पर मकान लेकर पंचायत कृषि कार्यालय चलाने की व्यवस्था करायी जाय। पंचायत कार्यालय चलाने की पूरी जबाहदेही संबंधित प्रखंड कृषि पदाधिकारी का होगा। प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) को निदेश दिया गया कि प्रखंड कृषि पदाधिकारी से प्रत्येक प्रखंड के अन्तर्गत पंचायत कार्यालय की अद्यतन स्थिति का प्रतिवेदन प्राप्त कर कृषि निदेशक को उपलब्ध करावें।

निदेश दिया गया कि एक माह के अन्दर इन सभी कार्यो को पूरा करा लें। प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं कृषि समन्वयक को 15 दिनों के अन्दर प्रतिवेदन देने का निदेश जारी करें। निदेश दिया गया कि किराये पर भवन लेने हेतु किराया एकरारनामा का प्रारूप कृषि विभाग द्वारा बनाकर संयुक्त निदेशक (शष्य) को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करा दिया जाय।

(अनु0–सभी प्रमण्डलीय संयुक्त निदेशक, शष्य)

4. **जिला सिंचाई योजना** :– निदेश दिया गया कि जिला सिंचाई योजना में सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई विभाग, मनरेगा एंव भूमि संरक्षण के अंश को शामिल किया जाना आवश्यक है। इसके लिए प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) को समन्वय स्थापित कर एक माह के अन्दर जिला सिंचाई योजना अनुमोदित कराने का निदेश दिया गया। साथ ही प्रधान सचिव के स्तर से मुख्य सचिव को पत्र लिखते हुए यह अनुरोध करने को कहा गया कि मुख्य सचिव अपने स्तर से भी जिला पदाधिकारी को आवश्यक निदेश निर्गत करें।
5. **बाढ़–सुखाड़** :– माननीय मंत्री को अवगत कराया गया कि अभी तक 53 प्रतिशत धान की रोपनी हो चुकी हैं। 5 जिले में रोपनी कम हुई है। निदेश दिया गया सही आकलन कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।

(अनु0–संयुक्त कृषि निदेशक, सांख्यिकी)

6. **किसानों का निबंधन** :– प्रधान सचिव ने बताया कि अभी तक 6 लाख से ज्यादे किसानों का निबंधन हो चुका है। 9 हजार किसानों के बीच अनुदान वितरण किया जा चुका है। ऑनलाईन निबंधन प्रक्रिया में जो देरी हो रही है उसे दो–तीन दिनों में दुरूस्त कर लिये जाने का निदेश दिया गया। प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) को निदेशित किया गया कि निबंधन की मोनिटरिंग प्रत्येक दिन करें।
7. **किसान चौपाल** :– निदेश दिया गया कि किसान चौपाल में जितनी सुझाव/शिकायते प्राप्त हुई है उसे जिला पदाधिकारी के स्तर पर कृषि टास्क फोर्स की बैठक की कार्यावली में रखी जाय। बताया गया कि ज्यादा शिकायतें सिंचाई एवं नीलगाय/धोड़परास की आई हैं, उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। किसानों से प्राप्त सुझावों का अनुपालन कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निदेशक, बामेती को निदेश दिया गया।
8. **बीज गुणन प्रक्षेत्र** :– बीज गुणन प्रक्षेत्र की जमीन एवं भवनों का दस्तावेज संधारित नहीं है। दस्तावेज नहीं रहने के कारण रसीद नहीं कट रहा है। प्रधान सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि पत्र लिखा जा चुका है। निदेश दिया गया कि पुनः सभी संबंधित पदाधिकारियों को आदेश दिया जाय कि सभी प्रकार का दस्तावेज उपलब्ध करा कर एक माह के अन्दर रसीद कटा लें।

(अनु0–उप निदेशक (शष्य) प्रक्षेत्र)

9. **के0सी0सी0** :– माननीय मंत्री द्वारा निदेश दिया गया कि बैंकों के उप महाप्रबंधक/सहायक महाप्रबंधक का एक बैठक आयोजित कराया जाय। 16 अगस्त 2018 को के0सी0सी0 शिविर लगाने की तिथि निर्धारित की गई है। 3 अगस्त को सभी बैंकों के राज्य स्तरीय पदाधिकारियों की बैठक बुलाने का निदेश दिया गया।

(अनु0– संयुक्त निदेशक, सांख्यिकी)

10. **परिसम्पतियों का ब्यारा** :– राज्य में विभाग/निदेशालयों के अधीन विभिन्न संस्थानों के पास बहुत सम्पति है। इनका कहॉ–कहॉ अतिक्रमाण हुआ है? कहॉ निर्माण कार्य चल रहा है ? कहां गोदाम बन रहा है ? निदेश दिया गया कि इसका मोनिटरिंग प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) करें एवं अद्यतन स्थिति का प्रतिवेदन उपलब्ध करायें।
11. **वृक्षारोपण** :– बाजार समिति एवं बीज गुण प्रक्षेत्रों को 2–2 लाख रू0 दिया गया है। अभी पौधा लगाने का मौसम है। पर्यावरण की सुरक्षा हेतु बृक्षारोपण कराया जाय। यह निदेश दिया

गया कि फलदार वृक्ष लगाया जाय। साथ ही निर्णय लिया गया कि 8 अगस्त को सभी जिलों मे एक टीम जायेगी। पौधा रोपण का कार्य किया जायेगा। इसकी शुरूआत बीज गुणन प्रक्षेत्रों से किया जाय तथा ई0 किसान भवन एवं भूमि संरक्षण की योजनाओं में लगाया जाय।

बगीचा में ओल/हल्दी, अदरख़ आदि का अनतर्वर्त्ती खेती को प्रोत्साहित किया जाय। इस पर भी अनुदान दिया जाय।

12. **कृषि समन्वयक** :– अभी तक मात्र 75 प्रतिशत पद ही भरे गये हैं। निदेश दिया गया कि नियुक्त कृषि समन्वयकों के कार्यो की समीक्षा एवं अनुश्रवण की जाय। उन्हें किसानों के घर–घर भेजकर कृषि विभाग की योजनाओं की जानकारी दी जाय तथा किसानों की समस्याओं का हल कराया जाय।

(अनु0–सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक,शष्य)

13. **किसान उत्पादन संगठन** :– बताया गया कि अभी तक 151 संगठन गठित हो चुका है। सभी का अतिशीघ्र निबंधित कराने का निदेश दिया गया।

(अनु0–सभी परियोजना निदेशक, आत्मा)

14. बीज :–

- क्षेत्र भ्रमण में किसानों के द्वारा बताया गया कि हमलोगों को स्वर्णा सब –1 धान के प्रभेद का बीज दिया गया जबकि इस क्षेत्र में सहभागी धान की आवश्यकता है।

(अनु0–बी0आर0बी0एन0)

- किसानों को जिस प्रभेद का बीज की आवश्यकता है उसी के अनुसार आकलन कर उन्हें बीज उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। इसका सतत मोनिटरिंग की जाय। प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) को निदेश दिय गया कि किसान की इच्छा जान ली जाय कि उन्हें क्या जरूरत है। तब समेकित प्रतिवेदन के आधार पर बीज की आपूर्ति उस जिले में की जाय। निर्णय लिया गया कि आगामी रब्बी में ऑनलाईन निबंधन के माध्यम से किसान को उनके इच्छानुसार बीज दिलाने की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाय। रब्बी मौसम के लिए विभाग के स्तर पर अभी से योजना तैयार कर ली जाय तब बिहार राज्य बीज निगम को लक्ष्य निर्धारित कर सुपुर्द किया जाय ताकि वे अभी से तैयारी में लग जायेंगे।

(अनु0– उप निदेशक, शष्य, बीज)

15. **योजना**– सभी योजनाओं का कार्यान्वयन समय पर कराना सुनिश्चित कराया जाय। विभाग के निदश का अनुपालन कराया जाय। सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) को प्रेस कॉन्फ्रेरेन्स आयोजित करने का निदेश दिया गया।

16. निदेश दिया गया कि प्रखंड स्तरीय किसान सलाहकार एवं कृषि समन्वयक का एक ओरियेन्टेशन प्रोग्राम कराया जाय।

17. निदेश दिया गया कि धान की रोपनी के काम में तेजी लाया जाय तथा जिला कृषि पदाधिकारी के कार्यो की समीक्षा किया जाय।

(अनु0–प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक, शष्य)

31.8.2018

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 8/कृ0नि0यो0वि0–33/17 – 4602 पटना, दिनांक :– 5-9-1

प्रतिलिपि :– प्रबंध निदेशक, बी0आर0बी0एन0, पटना/विशेष सचिव, कृषि विभाग/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, बिहार, पटना/निदेशक, पी0पी0एम0, बिहार, पटना/निदेशक, प्रशासन, कृषि विभाग, बिहार, पटना/ अपर निदेशक (शष्य)/माननीय मंत्री, कृषि, बिहार के आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार के आप्त सचिव/मुख्यालय स्थित सभी संयुक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक (शष्य) पाट पूर्णिया/संयुक्त कृषि निदेशक–सह–नियंत्रक, माप–तौल, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/मुख्यालय स्थित सभी उप निदेशक/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी परियोजना निदेशक, आत्मा/सभी योजना के नोडल पदाधिकारी/सभी जिला के नोडल पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, उद्यान/सभी उप निदेशक (कृषि अभियंत्रण) भूमि संरक्षण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31.8.2018

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 8/कृ0नि0यो0वि0–33/17 – 4602 पटना, दिनांक :– 05-9-18

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, कृषि विभाग को सभी संबंधित पदाधिकारियों को ई–मेल करने तथा विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

31.8.2018

[illegible]

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।